प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 918/2022

अनवान : –

1. रायसिंह पुत्र स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजाराम पुत्र स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. पतराम पुत्र स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. प्रेमसुख बावरी पुत्र स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. कलावती देवी पत्नी स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. रोशनी पुत्री पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
7. गुलाब देवी पुत्री पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
2. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक: 10.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा भुकरका तहसील नोहर के खाता स0 320/326 की कुल 3.5540 हैक्ट व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 128/121 की कुल 3.4650 हैक्ट एवं रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 95/91 की कुल 0.2150 हैक्ट भूमि पोकरराम पुत्र रतुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पोकरराम पुत्र रतुराम के नाम से दर्ज है जो की वादी का पिता है। पोकरराम पुत्र रतुराम का देहान्त हो चुका है। पोकरराम पुत्र रतुराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 है जो पोकरराम पुत्र रतुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 5 ता 7 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 4 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा [illegible] चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 [illegible] चुकी है। बाद हक त्याग रोही मौजा भूकरका के खाता स0 320/326 व रोही मौजा देईदास के खाता स0 128/121 की वाद भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

के वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार हैं तथा रोही मौजा भगवान के खाता स0 95/91 की वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा मृतक पोकरराम का नाम जमाबंदी से कलमजन करवाकर वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा देईदास जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता स0 128/121 प्रदर्श–1, रोही मौजा भूकरका जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता स0 320/326 प्रदर्श–2, रोही मौजा भगवान जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता स0 95/91 प्रदर्श–3, मृत्युप्रमाण पत्र बहक पोकरराम प्रदर्श–4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–5 आदि प्रदर्शित करवायें। प्रतिवादी स0 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भुकरका तहसील नोहर के खाता स0 320/326 की कुल 3.5540 हैक्ट व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 128/121 की कुल 3.4650 हैक्ट एवं रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 95/91 की कुल 0.2150 हैक्ट भूमि पोकरराम पुत्र रतुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, पोकरराम पुत्र रतुराम फौत हो चुका है अतः उक्त वाद भूमि दादालाई/विरासतन कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक पोकरराम पुत्र रतुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

लिया है। अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमतिके आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है रोही मौजा भुकरका तहसील नोहर के खाता स0 320/326 की कुल 3.5540 हैक्ट व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 128/121 की कुल 3.4650 हैक्ट में मृतक पोकरराम पुत्र रतूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 95/91 की कुल 0. 2150 हैक्ट भूमि में मृतक पोकरराम पुत्र रतुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 918 / 2022
अनवान : –

1. रायसिंह पुत्र स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।

–वादीया

बनाम्

1. राजाराम पुत्र स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. पतराम पुत्र स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. प्रेमसुख बावरी पुत्र स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. कलावती देवी पत्नी स्व0 पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. रोशनी पुत्री पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
7. गुलाब देवी पुत्री पोकरराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 918 सन 2022 निर्णय दिनांक 10.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका तहसील नोहर के खाता स0 320 / 326 की कुल 3.5540 हैक्ट व रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता स0 128 / 121 की कुल 3.4650 हैक्ट में मृतक पोकरराम पुत्र रतूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 95 / 91 की कुल 0.2150 हैक्ट भूमि में मृतक पोकरराम पुत्र रतुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भूकरका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:48:47 IST
Reason: SelfAttested